GCMS 2024/241

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

अर्जुनलाल बनाम लालचन्द वगै0

मुकदमा नम्बर :– 91 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18.11.2024	प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 28.11.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	28/11/24	व. प्रार्थी उप0। पत्रावली बगरज तलबी में रहकर आगामी दिनांक 27/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	27/12/24	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	27/1/25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय का समय समाप्त होने तक वकील प्रार्थी को बार बार आवाज दिलायी गयी। वकील प्रार्थी असालतन व वकालतन अनुपस्थित है अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	